

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 25/2022

<u>अपीलान्त</u>	<u>बनाम</u>	<u>रेस्पोडेन्टस</u>
1. बलवन्तसिंह पुत्र गुमानसिंह 2. चुतरसिंह पुत्र गुमानसिंह समस्त जातियान-राजपूत, निवासी- भालू लक्ष्मणगढ, तहसील बालेसर		1. तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या /2018 अनवान तहसीलदार, बालेसर बनाम समस्त ग्राम भालू लक्ष्मणगढ में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

उपस्थिति:---

1. श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।



निर्णय

दिनांक 27 मार्च, 2024

1. अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या/2018 अनवान तहसीलदार, बालेसर बनाम समस्त ग्राम भालू लक्ष्मणगढ में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरुद्ध दिनांक 04.02.2019 को प्रस्तुत की गई।
2. पक्षकरान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्तस के अभिभाषक ने यह कथन किया कि तहसीलदार बालेसर के द्वारा रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम भालू लक्ष्मणगढ, तहसील बालेसर के ख0सं0 566/7, 565, 559 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान भूमि की रकबा भूमि में से चल रहे रास्ते की रकबा भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 28.06.2018 को पारित कर दिया गया जो अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई

राजस्व अपील संख्या 25/2022 बलवंतसिंह वगैराह बनाम राज्य

का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जबकि उक्त खसरान में अपीलान्टस की खातेदारी वाले खसरा संख्या 565 की भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।

3. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में कोई नोटिस तक नहीं दिया एवं उसकी भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। रास्ते मांगे जाने हेतु किसी काश्तकार/खातेदार के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, राजस्व कर्मचारियों ने मनमर्जी से रास्ता बताकर प्रस्ताव पेश कर दिया गया मौके पर आज भी कोई रास्ता कायम नहीं है।
4. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की एकतरफा जॉच रिपोर्ट भी हितबद्ध व भूमि के अपीलान्टस/खातेदारान की गैर गौजूदगी में एकपक्षीय व मिलीभगती से तैयार की गई, को आधार मानकर फेसला किया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन है, जो निरस्त योग्य किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 को निरस्त किया जावें।
5. प्रत्युत्तर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बालेसर की ओर से प्रेषित प्रस्ताव जिसमें रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम भालू लक्ष्मणगढ, तहसील बालेसर के ख0सं0 566/7, 565, 559 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने बाबत पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार स्वीकार किया गया है जो बहाल रख जावें।
6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह




राजस्व अपील संख्या 25/2022 बलवंतसिंह वगैराह बनाम राज्य

आपत्ति उठाई है कि आदेश में वर्णित ग्राम भालू लक्ष्मणगढ, तहसील बालेसर के ख0सं0 565 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे को रास्ते में दर्ज किये जाने का जो आदेश दिनांक 06.06.2018 को पारित किया है वो प्रभावित खातेदारान/अपीलार्थीगण को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखे जाने अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है।

7. ऐसे में हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्तगण की खातेदारी के उल्लेखित खसरांन की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 में अंकित अपीलान्तस के खसरा संख्या 565 की रकबा भूमि की हद तक निरस्त करते प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार बालेसर से मौका दौंच दरवाकर मौका फर्द तैयार करावें, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, बालेसर उक्तानुसार तैयार मौका फर्द एवं उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पुनः यथोचित आदेश पारित करे। कोई भी पक्ष उपरोक्त चलायमान रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(अजीत सिंह राजावत)
अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर